कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)-480001

सिक्यूरिटी गार्ड निविदा आमंत्रण एवं नियम शर्ते

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं कन्या छात्रावास में सुरक्षा गार्ड महिला/पुरूष दोनों डंडामेन,एवं गनमेन की आवश्यकता है । अतः इच्छुक आवेदककर्ता महाविद्यालय के नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुये अपने आवेदन–फोटो सहित– एवं समस्त अभिलेखों के साथ समाचार पत्र मे प्रकाशित दिनांक से सात दिवस के अन्दर इस कार्यालय में निविदा जमा कर सकते है । अंतिम दिवस अवकाश रहता है तो अगला दिवस मान्य होगा ।

इस निविदा में भाग लेने के लिये निविदाकार को निम्न अर्हताओं की पूर्ति करना आवश्यक है –

1– सुरक्षा एजेन्सी जो कि प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी – रेग्यूलेशन– एक्ट 2005 के अंतर्गत पंजीबद्व हो ।

2– सुरक्षा एजेन्सी के पास कम से कम 20 सुरक्षा कर्मियों का वर्तमान में मान्य कान्ट्रेक्ट लेबर लायसेंस हो ।

3– पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र

4– यह आवश्यक होगा कि निविदाकार कार्य की प्रवृति के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित विभिन्न नियम/एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्व हो यह दायित्व पूर्णतः निविदाकार का होगा ।

5– निविदा के साथ दि प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी –रेग्यूलेशन–एक्ट2005,कर्मचारी भविष्य निधि,लेबर लायसेंस ,ई एस आई सी सर्विस टेक्स, आयकर –पेन नम्बर – के अंतर्गत पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

6– चयनित निविदाकार प्रबंधक प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाडा के साथ प्रथमतः एक वर्ष का अनुबंध निष्पादित करेगा । संतोषजनक कार्य न होने की स्थिति में संस्था के प्राचार्य द्वारा 01 माह पूर्व सूचना पर अनुबंध को समाप्त कर सकेगें तथा ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार शास्तियां भी अधोरोपित कर सकेंगें ।

7– प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 08 घंटे का होगा तथा संस्था की आवश्यकतानुसार संम्पूर्ण 24 घंटे की कालावधि में निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति सुनिशिचत

कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)-४८०००१

कराने का दायित्व चयनित एजेन्सी का होगा ।

8– किसी भी कर्मी की छुट्टी पर जाने/अनुपस्थिति की स्थिति में बदली करने की व्यवस्था भी चयनित एजेन्सी को करनी होगी । नियमानुसार दिये गये वैतनिक अवकाश की अवधि में उपलब्ध कराये गये कर्मियों की सेवा हेतु नियमानुसार रिलीविंग चार्जेस के भुगतान की जिम्मेदारी एजेन्सी की रहेगी । उक्त स्थिति में चूक की दशा में अनुपस्थित कर्मी हेतु देय राशि काटी जावेगी तथा उतनी ही राशि का दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा ।

9– सुरक्षा कर्मियों को वर्दी,जूते,मोजे,रेनकोर्ट,टार्च,साईकिल एवं अन्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का संपूर्ण दायित्व चयनित एजेन्सी का होगा ।

10– सुरक्षा कर्मियों के गैर कानूनी कार्यो में लिप्त पाये जाने अथवा कार्य के समय नशे में होने,अभद्रता करने अथवा अन्य अनपेक्षित कार्य करने की स्थिति में उसे तत्काल पृथक कर संस्था के प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाडा की संतुष्टी अनुसार अन्य कर्मी को उपलब्ध कराने का दायित्व भी एजेन्सी का होगा

11– श्रम कानून के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर संपूर्ण उतरदायित्व एजेन्सी का रहेगा । जैसे की कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबालिशन एक्ट 1970, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948,पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट 1936,पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट,इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्टस एक्ट 1947, एमप्लाईज प्रोविडेंड फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रेविजन एक्ट 1952,एमप्लाईज स्टेट इंश्यूरेंस एक्ट 1948, वुमंसकम्पन शेसन एक्ट 1923, मोटर व्हीकर एक्ट एवं विधि द्वारा लागू की गई अन्य न्यायोचित धारायें निविदकर्ता को मान्य होगी ।

12– स्वीकृत निविदाकार को अनुबंध के रूप में 25,000/– की धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य है ।

13– चयनित होने के पश्चात निर्धारित अवधि में अनुबंध न करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी तथा अनुबंध निष्पादित होने के पशचात निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में धरोहर राशि परफार्मेन्स ग्यारंटी दोनो ही राजसात की जा सकेगी ।

14– कार्य के दौरान किसी भी सुरक्षा कर्मियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर संबंधित सुरक्षा गार्ड की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी ।

15– इस अनुबंध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में संस्था प्रमुख प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाडा आर्विट्रेटर होगें तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय/अर्वाड एजेन्सी को मान्य तथा बंधनकारी होगे ।

16– सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार के लिये सक्षम न्यायालय छिन्दवाडा/जबलपुर होगा ।

17– निविदाकार को किसी शासकीय/अर्द्वशासकीय विभाग में किसी भी कारण ब्लैक लिस्ट न किया गया हो ।

18– महिलाओं की सुरक्षा जॉच हेतु महिला सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति आवश्यक है ।

19– चयनित सफल निविदाकार को कार्यादेश मिलने पर 07 दिवस के अन्दर सुरक्षा कर्मियों का शिप्ट अनुसार ड्यूटी चार्ज नामजद देना अनिवार्य होगा ।

20– भुगतान की गणना सुरक्षा गार्ड कर्मी की मासिक उपस्थिति के आधार पर की जावेगी यदि संबंधित कर्मी किसी कारण से अवकाश पर रहता है तथा एजेन्सी द्वारा अवकाश अवधि हेतु अन्य कर्मी उपलब्ध कराया जाता है यह मानकर की उसी सुरक्षा कर्मी के द्वारा संपूर्ण अवधि में कार्य किया गया है,भुगतान सम्बंधी गणना की एजेन्सी द्वारा की जावेगी । उसका भुगतान अलग से नही किया जावेगा ।

प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्त
महाविद्यालय,छिन्दवाडा (म.प्र.)